न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 06 / 2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण तिलोकानी पुत्र श्री राजकुमार तिलोकानी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स सालासर बालाजी ऑयल मिल्स, विश्वकर्मा नगर, दौराई, अजमेर।
2. मैसर्स सालासर बालाजी ऑयल मिल्स, विश्वकर्मा नगर, दौराई, अजमेर।

........अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

अभिभाषक : श्री हरीश हिंगोरानी, श्री उत्तम गुरूबक्षाणी अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 07.08.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) रिफाइण्ड मूंगफली का तेल (शिव पोस्टमैन) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, द्वितीय अपील प्रपत्र, द्वितीय अपील हेतु रेफरेल लेब को अग्रेषित पत्र, रेफरले लेब की जाँच रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.05.2024 को 05:00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सालासर बालाजी ऑयल मिल्स, विश्वकर्मा नगर, दौराई, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री लक्ष्मण तिलोकानी मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय रिफाइण्ड मूंगफली तेल (शिव पोस्टमैन) के

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

15–15 किलोग्राम के 19 पीपे आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त तेल कीं मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 1600 ग्राम रिफाईण्ड मूंगफलली तेल (शिव पोस्टमेन), 256/– रूपयें श्री लक्ष्माण तिलोकानी को नगद देकर गवाह श्री सुशील कुमार चोटवानी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री लक्ष्मण तिलोकानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा तेल को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 400 ग्राम) में भरकर, प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4302 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। रिफाईण्ड मूंगफली तेल का नमूना लेने के पश्चात मौके पर 19 टिन (लगभग 285 किलोग्राम) अभिगृहित कर नियमानुसार विक्रेता की अभिरक्षा में सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/3264 दिनांक 31.05.2024 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/554/एक्ट/2024/582 दिंनांक 20.05.2024 अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया रिफाईण्ड मूगफली तेल (शिव पोस्टमैन) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। श्री लक्षमण तिलोकानी द्वारा नमूना की द्वितीय जाँच हेतु नियमानुसार प्रपत्र 8, अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 194/1 दिनांक 15.07.2024 के संलग्न निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूरू को भिजवाया गया। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूरू की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2024 में भीी विक्रता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया रिफाईण्ड मूगफली तेल (शिव पोस्टमैन) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 25.06.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हरीश हिंगोरानी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

नियत पेशी को वकील अप्रार्थी ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। लिखित प्रत्युत्तर एवं बहस में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि उनकी फर्म तेल का उत्पादन नहीं करती है अपितु अपने विस्वसतम उत्पादक से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर टिन में पैककर अपनी ब्राण्ड का स्टीकर लगाकर विक्रय करती है। तेल को खरीदते समय उसके स्टेण्डर्ड को मापने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं होते है। व्यापारिक विश्वास वारंटी के अनुसार ही क्रय किये गये तेल को खुली आँखो से जाँच परख कर पेकिंग कर आगे विक्रय किया जाता है। परिवाद के बिन्दु संख्या 11 मे खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार घी का नमूना सब स्टेण्डर्ड होना बताया गया है जो कि विरोधाभासी है। उन्होने यह भी निवेदन किया कि उनकी फर्म पर दिनांक 07.05.2024 को दोपहर 02:45 पर श्री सुशील कुमार चोटवानी द्वारा भी सेम्पल लिया गया। एफ ही संस्थान से एक ही दिन एक ही

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

वस्तु रिफाइण्ड मूंगफली तेल के दो पृथक–पृथक सेम्पल लिये जाकर न्यायालय में दो परिवाद प्रस्तुत किये गये है एवं अभियुक्त को दो बार दण्डित किये जाने का प्रयास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये तेल मे ऐसा कोई भी तत्व नहीं पाया गया जो कि मानव जीवन के लिए घातक हो। दोनो प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी एक समान नहीं है तथा अलग अलग आई है। प्रार्थी के व्यापारिक संस्थान के आस पास अन्य व्यापारिक संस्थान भी है परन्तु उनमें से किसी भी व्यक्ति को स्वतन्त्र गवाह नहीं बनाया गया है। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रार्थी एक लघु उद्योग का संचालक है जो कि छोटे व्यापार की श्रेणी में आता है। प्रार्थी के विरूद्ध खाद्य पदार्थ में मानव जीवन के लिए घातक होने का गम्भीर अपराध नहीं है। अतः परिवाद का निस्तारण किये जाने की कृपा करावे।

हमने बहस में वर्णित कथनों पर मनन किया तथा लिखित प्रत्युत्तरपत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया रिफाइण्ड मूंगफली तेल (शिव पोस्टमेन) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया रिफाइण्ड मूंगफली तेल (शिव पोस्टमेन) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री लक्षमण तिलोकानी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. **25,000/– (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र)** शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 07.08.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

न्यायहित में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी श्री लक्षमण तिलोकानी पुत्र श्री राजकुमार तिलोकानी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स सालासर बालाजी ऑयल मिल्स, विश्वकर्मा नगर, दौराई, अजमेर का अधिगृहित किये गये रिफाईण्ड मूंगफली तेल ब्राण्ड नाम शिव पोस्टमेन (18 टिन पैक प्रत्येक 19 किलोग्राम कुल मात्रा 285 किलोग्राम) को अधिग्रहण से छोड़ा जाकर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त अधिग्रहित किये गये घी (ब्राण्ड नाम मुरली) का खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसर निस्तारण किये जाने की कार्यवाही की जाकर, इस न्यायालया को निस्तारण हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत करावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता / अपर / 2025 /   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री लक्ष्मण तिलोकानी पुत्र श्री राजकुमार तिलोकानी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स सालासर बालाजी ऑयल मिल्स, विश्वकर्मा नगर, दौराई, अजमेर।
5. मैसर्स सालासर बालाजी ऑयल मिल्स, विश्वकर्मा नगर, दौराई, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर